भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 631

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस की कार्य प्रणाली का विश्ले.षण

631. डॉ० प्रभाकर कोरे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की सुरक्षा में सुधार लाने हेतु राज्य सरकारों के साथ परामर्श से देश में पुलिस की कार्यप्रणाली का समय-समय पर विश्ले षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में अपराधों तथा अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (घ) : भारत के संविधान की VIIवीं अनुसूची की सूची-।। की प्रविष्टि 2 के अनुसार, "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं, अतएव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ही विभिन्न पुलिस सुधार संबंधी उपायों को कार्यान्वित करना होता है। वर्ष 1996 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 310 प्रकाश सिंह एवं अन्य में, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय ने पुलिस सुधारों पर दिनांक 22 सितम्बर, 2006 को सात दिशानिर्देश पारित किए। चौथा दिशानिर्देश "कानून एवं व्यवस्था पुलिस से जांच-पड़ताल पुलिस को अलग करने के संबंध में है, जिसे प्रारम्भ में दस लाख अथवा अधिक की आबादी वाले नगरों/शहरी क्षेत्रों से शुरु करके धीरे-धीरे छोटे नगरों/शहरी क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाएगा।" इस निर्देश का उद्देश्य शीघ्रतापूर्ण जांच, बेहतर विशेषज्ञता और लोगों के साथ बेहतर तालमेल एवं सम्पर्क सुनिश्चित करना है ताकि देश में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपुर्यक्त निर्णय की प्रति सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 26 सितम्बर, 2006 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई थी। इस की अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में राज्यों को समय-समय पर पत्र भेजे जाते हैं।

*****